

➤ आर्थिक सहायता:—

- इस योजना में राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम, 2001 के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार पत्रकार व उसकी पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री एवं माता-पिता को 7 गम्भीर बीमारी यथा:—क्षय, कैंसर, कुष्ठ रोग के इलाज तथा वॉल्व रिप्लेसमेंट, एन्ज्योप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्टेशन आदि रोगों के इलाज के लिए सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात् अधिकतम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

राजस्थान पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के लिए
आवेदन-पत्र

सेवामें,
निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय
राजस्थान, जयपुर-5

1. पूरा नाम
2. आयु तथा जन्म तिथि
3. पूरा पता
4. जीवित पत्रकारों के संबंध में:-
 - (अ) आवेदन कर्ता द्वारा पत्रकार के रूप में की गई सेवा का विस्तृत विवरण।
 - (ब) क्या असाध्य रोग से पीड़ित हैं ? यदि हां तो रोग का नाम व विवरण, अधीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
 - (स) क्या अस्वस्थता के कारण बेरोजगार हैं ? आय का कोई साधन है अथवा नहीं
 - (द) क्या आपने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। आय का कोई साधन है अथवा नहीं
 - (घ) अन्य कारण
5. मृत पत्रकार के परिवार/आश्रितों के संबंध में जानकारी:-
 - (अ) विवंगत पत्रकार का पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान
 - (ब) आवेदनकर्ता का दिवंगत पत्रकार से संबंध
6. मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-
 - (अ) समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रूपये है।
 - (ब) परिवार के अन्य सदस्यों की वार्षिक आय रूपये है।
 - (स) क्या किसी अन्य संस्था/स्रोत से सहायता दी जा रही है।
 - (द) मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और मैंने किसी तथ्य को छिपाया नहीं है।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

प्रमाण-पत्र

मैंने श्रीमती/श्री के आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों की आवश्यक जांच की है और इस संबंध में निम्न प्रकार सिफारिश करता हूँ:-

1. आवेदनकर्ता पत्रकारों/उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने संबंधी नियमों के अन्तर्गत आता है।
2. पत्रकार असाध्य रोग/अधिक आयु/अन्य कारणों से बेरोजगार है और आजीविका का कोई साधन नहीं है।
3. आवेदनकर्ता की आयु (संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार) वर्ष है।
4. आवेदनकर्ता स्वर्गीय की पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्री/पिता/माता है और ये बेरोजगार हैं और इनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है।
5. दावेदार की कुल वार्षिक आय रूपये है।
6. दावेदार की अन्य स्रोतों से आय रूपये है।

आवेदनकर्ता ने जो विवरण प्रस्तुत किया है, वह सत्य है/नहीं है।

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षरकर्ता मोहर सहित

नियम-9 के अन्तर्गत अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ अथवा अखिल भारतीय पत्रकार पत्र सम्पादक सम्मलेन अथवा अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचार संघ अथवा विभिन्न अकादमियों में वर्तमान पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित करावें।